

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 258/2025

तारीख रजू :- 22/11/2025

दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं घोषणा खातेदारी

मिशल आई0डी0 नम्बर 2025/595

उनवान

बाबूलाल पुत्र श्री नेता जाति जाटव, निवासी मिल्कीपुरा, तहसील सूरौठ, जिला करौली।

—वादीगण—02

बनाम

मंगतीलाल पुत्र मौहम्मदा जाति जाटव, निवासी कंजोली, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

—प्रतिवादीगण—04

दिनांक	फर्द अहकाम
22/11/2025	<p>आज यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.01.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
12/12/25	<p>आज यह पत्रावली नकील वादी के उत्तर पत्र पर लख डूई। नकील वादी ने उत्तर पत्र में कठित किया है कि पत्रावली के प्रथम लोक अदालत की भावना से राजीनामा दे जाय है। इसलिए मुकदमा के चलाने नहीं चाहते हैं वया लेट उस में खारिज करोगे वाक्य निवेदन किया है।</p> <p>अह: हुंन: 258/2025 उनवानी बाबूलाल वंगे बनाम मंगली वंगे दावा वाक्य तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं घोषणा खातेदारी Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल मुफ्त होकर वाद रकमील नम्बर से काम की जगह डालिल दफर हो।</p> <p>आदेश सुले न्यायालय में पुराया गया।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>

Not Press
वकील